वर्ष 4, अंक 65

राष्ट्र महिला

मार्च, 2005

राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रकाशित

सम्पादकीय

8 मार्च का दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में विश्व भर में महिला संगठनों द्वारा मनाया जाता है। सभी महाद्वीपों की महिलाएं- भले ही उन्हें राष्ट्रीय सीमाएं तथा जातीय, भाषायी, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं राजनीतिक विभिन्नताएं अलग करती हों- इस दिन ऐक्य प्रदर्शन करते हुए एकजुट हो जाती हैं। वे विगत की उस लम्बी परम्परा पर दृष्टि डालती हैं जो उनकी समानता, न्याय, शान्ति और विकास के संघर्ष की प्रतीक है।

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सामान्य महिलाओं द्वारा इतिहास रचे जाने की गाथा है। सदियों से समाज में महिलाओं को पुरूषों के बराबर स्थान प्राप्त कराने का संघर्ष इसकी बुनियाद है।

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का विचार गत सदी के प्रारंभ में उभरा जब औद्योगीकरण के विस्तार के साथ कोलाहलमय वातावरण बन रहा था, जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हो रही थी और क्रान्तिकारी विचारधाराएं पनप रही थीं।

उन प्रारंभिक वर्षों से जब तक, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ने विकसित तथा विकासशील देशों दोनों ही में महिलाओं के लिए एक नया विश्वव्यापी आयाम प्राप्त कर लिया है। बढ़ते हुए अंतर्राष्ट्रीय महिला आन्दोलन ने, जो संयुक्त राष्ट्र संगठन द्वारा आयोजित किए जाने वाले महिला सम्मेलनों से और भी सुदृढ़ हुआ, इस दिवस को महिलाओं के अधिकारों तथा आर्थिक और राजनीतिक प्रक्रियाओं में उनकी भागीदारी की मांगों को मनवाने के लिए समन्वित प्रयास करने का माध्यम बना दिया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस इस बात पर विचार करने का अधिकाधिक अवसर प्रदान करता है कि इस दिशा में क्या प्रगति हुई है और किन परिवर्तनों का आह्वान किया जाये। जिन साधारण महिलाओं ने महिलाओं के इतिहास में असाधारण भूमिका अदा की है, उनके साहस तथा दृढसंकल्प के कृत्यों को भी याद करने का यह दिवस है।

गत पांच दशकों के दौरान, महिला आन्दोलन ने सही अर्थो में एक विश्वयापी आयाम हासिल कर लिया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा का 'बीजिंग फाइव प्लस' विशेष सत्र दर्शाता है कि जब 1995 के बीजिंग सम्मलेन की सिफारिशों को कुछ क्षेत्रों में लागू करने में हमने प्रगति की है, अनेक मुद्दे ऐसे हैं जिन पर हमें गंभीरता से आगे बढ़ना है। किन्तु बीजिंग सम्मेलन में विभिन्न सरकारों द्वारा किए गये वादे प्रदर्शित करते हैं कि अब यह महसूस किया जाने लगा है कि विश्व की सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक समस्याओं के समाधान के किन्ही भी प्रयासों में महिला-समानता एक केन्द्र बिन्दु होगा। इस प्रकार, एक समय था

चर्चा में **अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस**

जब महिलाओं को संघर्ष करना पड़ा कि पुरूष-महिला समानता को अंतर्राष्ट्रीय एजेंडा में शामिल किया जाये, किन्तु अब पुरूष-महिला सामनता का मुद्दा इस एजेंडा के स्वरूप को निर्धारित करने का एक प्रमुख घटक है।

अनेक देशों ने अपने संविधान में अथवा कानूनों में ऐसे उपबंध शामिल कर लिए हैं जिनमें पुरूष-महिला का भेदभाव किए बिना मानव अधिकारों के उपभोग की गारंटी दी गयी है। भेदभाव करने वाले उपंबधों को हटा दिया गया है और महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनाने के लिए कानूनी साक्षरता प्रदान करने तथा अन्य प्रकार के उपाय किए गय हैं।

फिर भी, बहुत कुछ किया जाना शेष है। स्वतंत्रता के पचास वर्षों से अधिक के बाद, भारत की महिलाएं स्वयं को अब भी बेड़ियों में जकड़ी पाती हैं। वैश्वीकरण, उदारीकरण, आर्थिक पुनर्गठन और निजीकरण का प्रभाव महिलाओं

विपदा में महिलाओं के लिए हेल्पलाइन
23370597, 23379181

पर सबसे प्रमुख है। महिलाओं में, विशेषकर परिवार की मुखिया तथा वय-प्राप्त महिलाओं में, गरीबी गहराती जा रही है। बेरोज़गारी तथा अल्प-रोज़गारी महिलाओं बहुत अधिक है। बाल-विवाह, घरेलू हिंसा, दहेज की मांगों, भ्रूण-हत्या, बलात्कार और अपर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण उन्हें अब भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है।

इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर, हम महिलाओं के उद्धार तथा सशक्तिकरण के लक्ष्य के प्रति स्वयं को समर्पित करें। जब महिलाएं समृद्ध होती हैं तो समस्त समाज लाभान्वित होता है और आने वाली पीढ़ियों को जीवन प्रारंभ करने का एक बेहतर आयाम मिलता है।

मध्य प्रदेश ने अगुआई की

सदियों से चली आयी परम्परा में एक बड़े परिवर्तन के फलस्वरूप, मध्य प्रदेश में महिलाओं के नाम अचल सम्पत्ति का पंजीकरण करने के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है। यह शुरूआत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं के नाम में अचल सम्पत्ति पंजीकृत कराने पर स्टाम्प डयूटी पर दो प्रतिशत की छूट दिए जाने की घोषणा के बाद हुई। मध्य प्रदेश के पंजीकरण कार्यालयों के हाल के दस्तावेज दर्शाते हैं कि अधिकतर मामलों में खरीदार महिलाएं है।

महिलाओं के नाम में अचल सम्पत्ति के पंजीकरण की यह बदलती हुई प्रवृत्ति शहरी तथा ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में दिखाई देती है। महिलाओं के नाम में लगभग 25 हज़ार रजिट्रियां हो चुकी हैं और लगभग 12 करोड़ रू. की छूट उन्हें दी जा चुकी है।

उद्योग में महिलाओं पर राष्ट्रीय कार्यशाला

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग ने 8 मार्च को नई दिल्ली में एक दो-दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की जिसका विषय था: ''उद्योग में महिलाएँ : नीतियाँ, समस्याएं और संभावानाएं।'' तत्पश्चात्, ग्रामीण विकास विभाग, महिला और बाल विकास विभाग तथा उद्योग मंत्रालय के सचिवों की एक अखिल-भारतीय बैठक की गयी।

इस अवसर पर बोलते हुए, मुख्य अतिथि मानव संसाधन विकास मंत्री श्री अर्जुन सिंह ने सभी भागीदारों को आश्वासन दिया कि वह इस कार्यशला की सिफारिशों पर अमल करायेंगे। उन्होंने महिला सशक्तिकरण के मुद्दों पर चर्चा करने में पहल के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग, उद्धमियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा सरकारी अधिकारियों की सराहना की।

कार्यशाला को संबोधित करते हुए, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा डा. गिरिजा व्यास ने कहा कि न्यूयार्क में हाल ही में सम्पन्न बीजिंग पल्स 10 सम्मेलन (जिसमें वह शामिल हुई थीं) में पुन: इस बात पर जोर दिया गया कि विभिन्न सरकारें महिलाओं को ध्यान में रखते हुए अपनी नीतियां निर्धारित करें। उन्होंने भागीदारों से कहा कि सशक्तिकरण के मुद्दों का प्रमुख केन्द्र तृणमूल ग्रामीण महिलाएं होनी चाहिए। उन्होंने ''**चलो गांव की ओर**'' का नारा दिया। उन्होंने कहा कि बंदी महिलाओं के पुनर्वास के लिए, उन्हें आय-अर्जक कौशलों का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। उन्होंने सशक्तिकरण के चार स्तंमों पर ज़ोर दिया-सरकारी नीतियां और पहलें, उनका कार्यान्वयन, जागरूकता पैदा करने में गैर सरकारी संगठनों तथा राजनीतिक दलों की भूमिका और मीडिया की सकारात्मक भूमिका। उन्होंने कहा कि प्रत्येक महिला को उसकी पहचान मिलनी चाहिए और उन्हें अपने अधिकारों से अवगत कराया जाना चाहिए।

अपने परिचायक भाषण में, राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्या डा. सुधा मलैया ने कहा, ''यद्यपि महिलाएं हर उद्योग और रोज़गार में भाग लेती हैं, फिर भी उनके योगदान को

1. कार्यशाला को संबोधित करते हुए श्री अर्जुन सिंह। मंच पर हैं डॉ. सुधा मलैया, सुश्री रेवा नय्यर, डॉ. गिरिजा व्यास, सुश्री सुमित्रा महाजन। 2. कार्यशाला को संबोधित करते हुए सुश्री रेवा नय्यर। साथ में डॉ. सुधा मलैया, सुश्री जया जेटली, श्री सत्यानंद मिश्र। 3. राज्यों की महिला आयोगों की अध्याक्षाएं

मान्यता नही दी जाती। गृहणी के कार्य को कभी आर्थिक रूप में नहीं आंका जाता है जिसके परिणामस्वरूप उसे समाज में अपना सही स्थान नहीं मिल पाता ।

''समाज की मानसिकता को बदलना होगा और इसके लिए महिलाओं को शिक्षित किए जाने तथा आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाए जाने की आवश्यकता है। नव जागृत महिला उद्यमियों की सहायता के लिए, जिन्हें ऋणों तथा अपने उत्पादों के विक्रय के लिए बाजारों तक पहुंच की जरूरत है, कानून बनाए जाने चाहिए। यहां सरकार को आगे आना चाहिए। विद्यमान नीतियों की खामियां दूर की जानी चाहिए तथा कानूनों में संशोधन किए जाने चाहिए।''

टाइम्स् ऑफ इंडिया समूह की मुख्य प्रबंध निदेशक श्रीमती इन्दु जैन ने अपने भाषण में कहा कि महिलाओं की सम्पन्नता उनके उद्धार की बुनियाद है और सामयिक सरकारी सहायता से वे कांच की अवरोधक दीवार को भेद सकती हैं और आत्मनिर्भर बन सकती हैं।

सचिवों की अखिल भारतीय बैठक में डॉ. सुधा मलैया, डॉ. गिरिजा व्यास तथा सदस्य-सचिव श्री एन.पी. गुप्ता। (नीचे) बैठक में भाग लेते हुए राज्यों के सचिव

संसद-सदस्य सुश्री सुमित्रा महाजन ने एक धरातल कार्यकर्ता एवं भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्री के रूप में अपने अनुभव बताये। उन्होंने कहा कि हर भागीदारों को बताना चाहिए कि उनके सम्मुख आगे बढ़ने में क्या समस्याएं हैं और उनके क्या विचार हैं ताकि सरकार आवश्यक कार्यवाही कर सके। उन्होंने कहा कि सफल महिला उद्यमियों को नई और लघु उद्यमियों की सहायता करनी चाहिए जिन्हें महिला-उपयोगी उपकरण तथा प्रौद्योगिकी प्रदान किए जाने की आवश्यकता है।

कार्यशाला में भारत भर से लगभग 200 महिलाओं ने भाग लिया जिनमें राज्यों के महिला आयोगों की अध्यक्षाएं, गैर सरकारी संगठन तथा वित्त, लघु उद्योग, मानव संसाधन, पर्यटन और वाणिज्य मंत्रालयों के प्रतिनिधि शामिल थे।

सरकारी नीतियों पर पहले सत्र में वाणिज्य व उद्योग संस्थान, महिला उद्यमी संघ और गैर सरकारी संगठनों ने अपने विचार व्यक्त किए। निम्नलिखित बिंदु उभर कर आये:

- महिलाओं पर वैश्वीकरण का विपरीत प्रभाव पड़ा है।
- प्रशुल्क में धीरे-धीरे कमी किए जाने के निर्णय से स्पर्धा में वृद्धि होगी और लघु उद्योग के क्षेत्रों में आमूल परिवर्तन आयेगा।
- विदेशी सीधे निवेश से निजीकरण को बढ़ावा मिलेगा जिसके फलस्वरूप काम की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
- आर्थिक विकास को बनाए रखने के लिए, विद्यमान नीतियों तथा कार्यक्रमों की पुनरीक्षा की जानी चाहिए और सुधारों तथा संरचनात्मक परिवर्तन करने की दिशा में कदम उठाए जाने चाहिए।
- बाजार की असफलताओं का सामना करने के लिए पहल और नयी प्रौद्योगिकियों की आवश्यकता है।
- सामाजिक आडिट और जागरूकता की आवश्यकता।

इसके बाद वाले सत्र में महिला कामगारों, महिला नियोजकों तथा महिला उद्यमियों के मुद्दों पर सूक्ष्म एवं दीर्घ दोनों स्तर पर विचार-विमर्श हुआ जिसमें शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को लिया गया। अन्य सत्रों में वित्तीय संभावनाओं, व्यापार के अवसरों, बाजार की अनिश्चितताओं तथा क्षमता निर्माण पर चर्चा हुई। अंतिम सत्र में, कार्यान्वयन के लिए सरकार को भेजी जाने वाली नीति-सिफारिशें तैयार की गयीं।

अगले दिन राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा डॉ. गिरिजा व्यास ने राज्यों के सचिवों को संबोधित करते हुए उनसे महिलाओं को सरकारी नीतियों से अवगत कराने का आग्रह किया ताकि वे स्वयं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने के लिए उनका लाभ उठा सकें। अपने स्वागत भाषण में डॉ. सुधा मलैया ने कार्यशाला की पहले दोनों दिनों की परिचर्चा का सार प्रस्तुत किया और उससे निकली सिफारिशों पर प्रकाश डाला। सदस्य-सचिव श्री एन.पी.गुप्ता ने कहा कि उद्योग में महिलाओं की समस्याओं पर चर्चा करते समय सचिवों को ऐसे हल भी सुझाने चाहिए जिन्हें कि आसानी से कार्यान्वित किया जा सके। बैठक के अंतर-विभागीय सहयोग, विद्यमान नीतियों को और सुदृढ़ करने, वित्तीय उपलब्धता में सरलता लाने, बाजार के लिए संस्थागत समर्थन जुटाने और क्षमता निर्माण पर भी चर्चा हुई।

विचार-विमर्श से निकले कुछ सुझाव ये थे: (1) महिला उद्यमियों का एक राष्ट्रीय डाटाबेस तैयार किया जाये। (2) महिलाओं के बारे में सरकारी नीतियों से उन्हें अवगत कराया जाये (3) आदिवासियों द्वारा तैयार किए गये कृषि-आधारित उत्पादों के विक्रय की सुविधा प्रदान की जाये (4) प्रत्येक राज्य में एक महिला विकास निगम की स्थापना की जाये (5) सफल महिला उद्यमियों पर तथा महिला उद्यमियों को अधिकतम लाभ पहुंचाने वाली सरकारी योजनाओं पर राष्ट्रीय महिला आयोग एक पुस्तिका तैयार करे।

महत्वपूर्ण निर्णय

केवल कानूनी रूप से विवाहित पत्नी ही पति से भरण-पोषण की हकदार

वैवाहिक कानून संबंधी एक महत्वपूर्ण निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि केवल कानूनी रूप से विवाहित पत्नी ही अपने पति से भरण-पोषण पाने की हकदार है, वह स्त्री नहीं जिसके साथ पत्नी जैसा व्यवहार किया जाता है।

न्यायालय ने टिप्पणी दी कि ''भले ही कोई पुरुष किसी स्त्री के साथ पत्नी जैसा बर्ताव करता हो तो भी यह कोई मायने नहीं रखता क्योंकि (कानून बनाने में) विधायिका की मंशा संगत है, किसी पक्ष का व्यवहार नहीं।''

महिलाओं के प्रति अपराध

राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार, प्रत्येक घंटे देश में 25 हिंसक अपराध होते हैं, 59 गृहणियां प्रति दिन आत्म-हत्या करती हैं और प्रति मिनट एक दुर्घटना मृत्यु होती है।

हिंसक अपराधों के मामलों में प्रति घंटे घटित 2 बलात्कार के मामले, 4 हत्या के मामले, 10 हत्या के इरादे के मामले और 1 दहेज मृत्यु का मामला शामिल है।

जहां तक अन्य जघन्य अपराधों का संबंध है, महिलाओं के प्रति हर घंटे 17 अपराध होते हैं, 3 अपहरण के मामले होते हैं और अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्ति के प्रति हर घंटे 5 अपराध होते हैं।

महिलाओं पर देशभर में हुए कुल 146678 अपराधों में से 38.4 प्रतिशत छत्तीसगढ़ से दर्ज किए गये।

35 बड़े शहरों में हुए अपराधों में से दिल्ली में 24 प्रतिशत (1312 में से 320) महिलाओं से बलात्कार के और 34 प्रतिशत (2251 में से 759) अपहरण तथा भगा ले जाने के मामले हुए।

महाराष्ट्र सरकार की मानवीय पहल

एक मानवीय कदम उठाते हुए, महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के जेलों में बंद 60 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं को रिहा करने का निर्णय लिया है। केवल शर्त यह है कि वे आजीवन कारावासी हों और जेल में कम से कम तीन वर्ष बिता चुकी हों। वे 'टाडा' तथा महाराष्ट्र में खतरनाक कार्यवाइयों में भी सजायाफ्ता नहीं होनी चाहिए।

सदस्यों के दौरे

● सदस्या निर्मला सीतारमन ने गुजरात में राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रायोजित मछुहारिनों की जन सुनवाइयां चोरवाड़, जामनगर, जक्काऊ और मांडवी में कीं। उन्होंने कच्छ के जिले में जोगनीनार में लवणकुंड में कार्यरत महिला कामगारों की जन सुनवाई में भी भाग लिया।

बाद में वह जामनगर जिले के रूपेनबंदर में मछुआरों की बस्ती देखने गयीं जहां उन्होंने महसूस किया कि उनके रहने की दशा में सुधार लाने की बहुत आवश्यकता है। उन्होंने कच्छ जिले में सूरजभाड़ी पुल के पास भी कई लवण-कुंड देखे तथा राजकोट जिला क्षेत्र में सामक्यानी पुल के पास वह लवणकुंड कामगारों से मिलीं।

उन्होंने जामनगर में गुरु गोविंद सिंह अस्पताल का मुआइना किया और जिला जेल देखा।

● अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने के सिलसिले में आयोजित निम्न कार्यक्रमों में सदस्या नफीसा हुसैन ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया : नई दिल्ली के पश्चिम दिल्ली पुलिस द्वारा आयोजित; गाजियाबाद में ब्रदरहुड सोसाइटी द्वारा आयोजित और नई दिल्ली में झौंपड़पट्टी बाल विकास ट्रस्ट द्वारा आयोजित। वहां उन्होंने राष्ट्रीय महिला आयोग के कृत्य बताये और महिलाओं को उनके हित वाले कानूनों से अवगत कराया।

फरीदाबाद में मेवात विकास अभिकरण द्वारा आयोजित कार्यशाला में भी उन्होंने भाग लिया। उन्होंने महिलाओं से लड़कों तथा लड़कियों के साथ बराबर का व्यवहार करने का आग्रह किया और पिछड़ापन दूर करने के लिए आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने को कहा।

महिला भागीदारों को संबोधित करती हुई सदस्या नफीसा हुसैन

उड़ीसा के बजट में पितृत्व के मामलों के लिए आवंटन

उड़ीसा का बजट महिलाओं के लिए कुछ लेकर आया है, विशेषकर अविवाहित माताओं के लिए। ऐसी शिकायतें पाने पर कि गरीब लड़कियां प्रेम-जाल में फंस कर अविवाहित माताएं बन जाती हैं, अपराधियों की धर-पकड़ के प्रयोजन से बजट में डीएनए परीक्षण का व्यय वहन करने हेतु 5 लाख रुपयों का प्रावधान किया गया है।

अधिक जानकारी के लिए देखें वैबसाइट
www.ncw.nic.in

राष्ट्रीय महिला आयोग 4, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110002 द्वारा प्रकाशित। फोन : 23237166, फैक्स : 23236154
अभिनव प्रिंट्स, शकूर बस्ती, दिल्ली-110034 में मुद्रित। सम्पादक : गौरी सेन